उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याणनिधि अधिनियम, 1974[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1974]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1988
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3 1999
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 2003
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 34, 2021

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनाँक 23 मार्च, 1974 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनाँक 29 मार्च, 1974 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने 16 अप्रैल, 1974 की स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनाँक 17 अप्रैल, 1974 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के कल्याण की प्रोन्नति के निमित्त एक निधि स्थापित करने और उसके प्रवर्तन करने की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषायें

2–जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियम में––

[(क) "अधिवक्ता" का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल की नामावली में नाम–निवेशित एडवोकेट से है और इसमें द प्लीडर और अन्य विधि व्यवसायी भी, जो विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के उपबन्धों के अधीन इस रूप में नाम–निदेशित हों, सम्मिलित होंगे;][2]

(कक) 'बार एसोसियेशन' का तात्पर्य स्टेट बार काउन्सिल से संबद्ध बार एसोसियेशन से है;][2]

(ख) "स्टेट बार काउंसिल" का तात्पर्य एडवोकेट्स ऐक्ट, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश की स्टेट बार काउंसिल से है ;

(ग) "निधि" का तात्पर्य धारा 3 में निर्दिष्ट निधि से है ;

[(गग) "सदस्य" का तात्पर्य योजना के किसी सदस्य से है;][3]

(घ) "न्यासी समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित समिति से है।

[4] [(ङ) 'कल्याणकारी स्टाम्प' का तात्पर्य धारा 9 में निर्दिष्ट स्टाम्प से है।

[(च) 'वकालतनामा' के अन्तर्गत उपस्थित होने का ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज भी है जिससे किसी अधिवक्ता को किसी न्यायालय, अधिकरण प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या अभिवचन करने की शक्ति प्राप्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अधिकारी की ओर से दाखिल किया गया कोई वकालतनामा या उपस्थिति का ज्ञापन नहीं है।][5]

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनाँक 17 अप्रैल, 1974 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।
2. उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3,1999 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1988 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0प्र0 अधिनियम सं0 21, 1988 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया एवं उ0प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

निधि का उद्देश्य

3–(1) सामान्य लोक उपयोगिता के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एक ऐसी निधि के सम्बन्ध में, जिसका गठन एतत्पश्चात् की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायगा, और जिसे उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि कहा जायगा, एक पूर्त न्यास का सृजन किया जायेगा, अर्थातः–

(क) साठ वर्ष की आयु तक के अधिवक्ताओं के लिये, भारतीय जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा की पालिसी लेना;

(ख) जिला बार एसोसियेशनों के लिये हालों तथा पुस्तकालयों के लिये भवनों की तथा [कैन्टीन शेड एवं अन्य सुविधाओं][1] की व्यवस्था करना, अथवा ऐसी व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ [बार एसोसिएशन][2] को अभिदान करना;

[(खख) अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना, जिसे आगे योजना कहा गया है, को आयोजित करना, जो ऐसे अधिवक्ताओं के लिये होगी जो योजना के सदस्य बन जाय;][3]

(ग) आवश्यकताग्रस्त अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये अन्य योजनाओं को आयोजित करना; और

(घ) ऐसे अन्य उद्देश्य जिनसे, न्यासी समिति की राय में, अधिवक्ताओं की कार्यदशा तथा सुविधाओं में सुधार हो।

(2) निधि में निम्नलिखित धनराशियां होंगीः––

(क) धारा 4 के अधीन उसे अन्तरित सभी धनराशियाँ;

(ख) स्टेट बार काउंसिल द्वारा उसे दिये गये सभी अभिदान;

(ग) किसी अधिवक्ता द्वारा निधि में स्वेच्छा से दिया गया दान या अभिदान, जिसके अन्तर्गत सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के अधीन, किसी बीमाकृत अधिवक्ता की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई धनराशि भी है जहां ऐसे अधिवक्ता ने न्यासी समिति को ऐसा व्यक्ति नाम–निर्दिष्ट किया हो जिसे उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में पालिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि का भुगतान किया जायगा;

(घ) राज्य सरकार द्वारा निधि को दिया गया कोई अनुदान ;

(ड.) धारा 5 के अधीन उधार ली गयी कोई धनराशि ;

(च) अधिवक्ताओं के सामूहिक जीवन बीमा की पालिसी के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त कोई लाभ अथवा लाभांश; और

(छ) निधि के किसी भाग के सम्बन्ध में किये गये किसी विनियोजन पर कोई ब्याज या लाभांश अथवा अन्य प्रतिलाभ।

[(ज) राज्य सरकार द्वारा धारा 10 के अनुसार अन्तरित स्टाम्प का विक्रय आगम;][4]

(झ) धारा 11 के अनुसार योजना की सदस्यता के लिये प्राप्त समस्त प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा और उस पर ब्याज, यदि कोई हो।][4]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3,1999 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3,1999 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21,1988 की धारा 3(क) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1988 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(3) निधि एक ऐसी न्यासी समिति में निहित होगी और उसके द्वारा धृत तथा प्रबन्धित होगी जिसका नाम उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, पदेन, जो अध्यक्ष होंगे ;

(ख) अध्यक्ष, स्टेट बार काउंसिल, पदेन, अथवा यदि उक्त पद तत्समय महाधिवक्ता द्वारा धृत हो, तो [उसके द्वारा][1] नाम–निर्दिष्ट एक अधिवक्ता; और

[(खख) स्टेट बार काउन्सिल के दो सदस्य जो उसके द्वारा निर्वाचित हो;][2]

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विभाग, पदेन, जो सदस्य–सचिव होगा।

[(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन नाम–निर्दिष्ट कोई सदस्य तब तक पद धारण करेगा जब तक कि स्टेट बार काउन्सिल के अध्यक्ष का पद महाधिवक्ता द्वारा धृत हो किन्तु वह किसी भी समय अध्यक्ष को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे सकता है।][3]

(5) न्यासी समिति उपर्युक्त नाम से शाश्वत उत्तराधिकार वाली एक निगमित निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध वाद पस्तुत किया जा सकेगा।

(6) न्यासी समिति के किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस कारण से कि उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई दोष है, न तो कोई आपत्ति की जायगी और न उसे अविधि मान्य समझा जायगा।

कतिपय धन का निधि में अन्तरण

4–[(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र स्टेट बार काउंसिल के पास अधिवक्ताओं द्वारा भर्ती के प्रमाण–पत्रों पर दिये गये स्टाम्प शुल्क के मद्दे जमा धनराशि तथा उस पर वास्तविक रूप से अर्जित ब्याज की धनराशि के समकक्ष घनराशि, उसके द्वारा निधि में जमा की जायेगी और निधि में इस प्रकार जमा होने पर स्टेट बार काउंसिल उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रति अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में स्टेट बार काउन्सिल के पास भर्ती के प्रमाण–पत्रों के लिये अधिवक्ताओं द्वारा जमा किये गये स्टाम्प शुल्क के समकक्ष धनराशि, राज्य सरकार द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निधि में अन्तरित की जायगी और ऐसा अन्तरण होने पर राज्य सरकार, उस वित्तीय वर्ष के लिए, उसके संबंध में अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायगी।][4]

वित्तीय उपबन्ध

5–(1) न्यासी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपेक्षित धनराशियों समय–समय पर उधार ले सकती है।

(2) निधि का धन किसी अनुसूचित बैंक में जमा किया जा सकता है अथवा न्यासी समिति द्वारा किसी ऐसे निगम को, जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो, ऋण अथवा अग्रिम धन के रूप में, अथवा ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर निदेश दे, विनियोजित किया जा सकता है।

(3) निधि एक स्थानीय निधि समझी जायगी और उसकी सम्परीक्षा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 3(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 3(ग) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 4 द्वारा पुनः संख्याकित एवं बढ़ाया गया।

संलेख आदि का निष्पादन तथा अधिप्रमाणीकरण आदि

6–न्यासी समिति द्वारा लिये गये तथा निष्पादित सभी निर्णय तथा संलेख सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जा सकते हैं, जिन्हें उक्त समिति की ओर से किसी बैंक लेखे का प्रचालन करने की भी शक्ति होगी।

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

7–राज्य सरकार न्यासी समिति को, समय–समय पर, ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों, और ऐसे निदेशों का पालन करना न्यासी समिति का कर्तव्य होगा।

स्टेट बार काउन्सिल द्वारा अभिदान

[**8**–स्टेट बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारम्भ के दिनांक की निधि में एक लाख रुपये अभिदान करेगी। [x x x] [1]

[परन्तु इस धारा के, जैसे कि वह उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के पूर्व थी, अधीन स्टेट बार काउन्सिल द्वारा दी गयी अभिदान की कोई धनराशि वापिस नहीं की जायगी।][2]

वकालतनामा पर कल्याणकारी स्टाम्प

[**9**–(1) प्रत्येक अधिवक्ता अपने द्वारा स्वीकृत वकालतनामा पर किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति की दाखिल किये जाने वाले वकालतनामा की स्थिति [दस रुपये] [3] के मूल्य का कल्याणकारी स्टाम्प लगायेगा और कोई न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में कोई वकालतनामा ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उस पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपेक्षित किसी स्टाम्प के अतिरिक्त ऐसा स्टाम्प न लगा हो।][4]

(2) कल्याणकारी स्टाम्प का मूल्य किसी बाद या कार्यवाही में खर्च के रूप में विनिर्धारित नहीं किया जायगा और किसी भी दशा में ऐसे वाद या कार्यवाही के पक्षकार से वसूल नहीं किया जाएगा।

(3) किसी सदस्य द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धों को कोई उल्लंघन उसे योजना के लाभ के वंचित कर देगा और उसे अवचार समझा जायगा और न्यासी समिति समुचित कार्यवाही के लिए मामले की सूचना स्टेट बार काउन्सिल की देगी।

(4) उपधारा (1) के अधीन वकालतनामा पर लगाया गया प्रत्येक कल्याणकारी स्टाम्प न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 में उपबन्धित रीति से रद्द किया जायगा।

[(5) जहां किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।][5]

कल्याणकारी स्टाम्पो का मुद्रण और विक्रय

10–(1) [बार काउन्सिल] [6] इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कल्याणकारी स्टाम्प ऐसी डिजाइन में और ऐसे अंकित मूल्य का, जैसा वह उचित समझे, जिस पर शब्द ''कल्याणकारी स्टाम्प'' मुद्रित होगा, मुद्रित करायगी।

(2) राज्य सरकार कल्याणकारी स्टाम्प के वितरण और विक्रय का नियंत्रण न्यायालय फीस स्टाम्प के विक्रय के लिये अपने द्वारा नियुक्त स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से या किसी अन्य अभिकरण के माध्यम से, जो वह उचित समझे, करेगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 5 द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 9, 2003 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, कल्याणकारी स्टाम्पों के विक्रय आगम का अन्तरण उसमें से स्टाम्पों के [मुद्रण (जिसे बार काउन्सिल को भुगतान किया जायगा)][1], विक्रय और वितरण में उपगत खर्च को काटने के पश्चात् निधि के लेखा में करेगी

(4) राज्य सरकार ऐसे अन्तरण के तीस मास के भीतर न्यासी समिति को एक विवरण–पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें [बार काउन्सिल से प्राप्त और बेचे गये कल्याणकारी स्टाम्पों की संख्या, काटा गया खर्च, बार काउन्सिल को भुगतान किया गया मुद्रण का खर्च][2] और निधि के लेखा में इस धारा के अन्तर्गत अन्तरित धनराशि का व्यौरा दिया जाएगा।

[(5) राज्य सरकार मुद्रण प्रभार की वसूली पर कल्याणकारी स्टाम्पों के मुद्रण के लिये राजकीय प्रेस की सेवायें कर सकती है।][3]

कल्याणकारी स्टाम्प की अनुपलब्धता की दशा में उपबन्ध

[**10–क** (1) धारा 10 में किसी बात के होते हुए भी, कल्याणकारी स्टाम्पों की अस्थायी कमी की दशा में कल्याणकारी स्टाम्पों का मूल्य न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद भुगतान किया जा सकता है और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिए एक रसीद देगा जिसे वकालतनामा पर चस्पा किया जायगा और ऐसे चस्पा का वही प्रभाव होगा मानो उस धनराशि का कल्याणकारी स्टाम्प इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से चस्पा किया गया हो।]

(2) उपधारा (1) के अधीन नकद प्राप्त करने वाला अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसे कोषागार में ऐ शीर्षक के, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, अधीन जमा करेगा।][4]

योजना की सदस्यता

11–(1) कोई अधिवक्ता योजना का सदस्य बनने के लिए, सचिव, न्यासी समिति को ऐसे प्रपत्र में, जैसा विहित किया जाय, आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक आवेदक, आवेदन–पत्र के साथ एक सौ रुपये की प्रवेश फीस विहित रीति से एक मुश्त देगा।

(3) न्यासी समिति आवेदन–पत्र और प्रवेश फीस प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और या तो आवेदक की योजना की सदस्यता में सम्मिलित करेगी या ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, आवेदन.पत्र को अस्वीकार कर देगी और प्रवेश शुल्क के प्रति भुगतान की गयी धनराशि को वापस कर देगी;

परन्तु कोई आवेदन.पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

(4) इस प्रकार सम्मिलित किये गये आवेदक की सदस्यता उस वर्ष की, जब आवेदन.पत्र दिया गया था, पहली जनवरी को या अधिवक्ता के रूप में आवेदक के नामांकन के दिनांक की, जो भी पश्चातवर्ती हो, प्रारम्भ हुई समझी जायगी।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 7(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 7(ग) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 7(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।

(5) योजना का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये उस वर्ष के इकतीस दिसम्बर को या उसके पूर्व–

(क) पचास रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप से 5 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;

(ख) एक सौ रुपये, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अधिक किन्तु 10 से अनधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो;

(ग) दो सौ पचास रुपये, जहाँ उसने अधिवक्ता के रूप में 10 से अधिक वर्ष के लिये विधि व्यवसाय किया हो; की दर से वार्षिक चन्दा विहित रीति से देगा।

"[परन्तु सरकारी अधिवक्ता निधि में अपने वार्षिक चन्दा के साथ ऐसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान वह सरकारी अधिवक्ता रहा हो, पचास रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करेगा;

''परन्तु यह और भी कि कोई सदस्य अपने विकल्प पर आजीवन चन्दे के रूप में तीन हजार रुपये, और यदि वह सरकारी अधिवक्ता हों, तो तीन हजार पांच सौ रुपये का एक मुश्त भुगतान कर सकता है;

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार न्यासी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना आदेश द्वारा, वार्षिक और आजीवन चन्दे की दर में परिवर्तन कर सकती है।'']1

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये–

(एक) अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने के अन्तर्गत विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अधीन प्लीडर या अन्य विधि व्यवसायी के रूप में नामांकित या अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल) की नामावली में दर्ज अधिवक्ता के रूप में विधि–व्यवसाय करना भी है;

(दो) विधि व्यवसाय की अवधि की गणना उस कलेण्डर वर्ष के जिसके लिये चन्दा देय हो, प्रथम दिवस से या विधि व्यवसायी या अधिवक्ता के रूप में नामांकन के दिनांक से इसमें जो भी पश्चातवर्ती हो, की जायेगी।

"[(तीन) किसी सरकारी अधिवक्ता का तात्पर्य सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निकाय; प्राधिकारी या किसी निगम द्वारा, किसी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या किसी व्यक्ति के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए, नियुक्त किए गए ऐसे किसी अधिवक्ता से है जो, यथास्थिति सरकार या ऐसे निकाय, प्राधिकारी या निगम से रिटेनरशिप या मासिक भत्ते के रूप में कोई धनराशि प्राप्त करता हो।'']2

सदस्यता की समाप्ति और पुनःप्रवेश

12–(1) योजना का कोई सदस्य ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा, यदि–

(क) उसकी मृत्यु हो जाय ;

(ख) उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली से हटा दिया जाय ;

(ग) वह अपनी सदस्यता से त्याग–पत्र दे दें;

(घ) उसके पास दो वर्ष या इससे अधिक अवधि का वार्षिक चन्दा बकाया हो और न्यासी समिति उसे कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सदस्यता समाप्त कर दें।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 9 (क) द्वारा परन्तुक बढ़ाये गये।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 9 (ख) द्वारा बढ़ाया गया।

(2) किसी ऐसे अधिवक्ता को जो योजना का सदस्य नहीं रह गया है, उसके लिखित आवेदन–पत्र पर और ऐसे वार्षिक चन्दे के जिसका उसने भुगतान किया होता यदि उसकी सदस्यता बनी रहती, बकाये का और उस पर अठारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने पर, योजना का पुनः सदस्य बनाया जा सकता है, बशर्ते उसका नाम स्टेट बार काउन्सिल द्वारा रखे गये राज्य नामावली में यथास्थिति, पूर्ववत कर दिया जाय या बना रहे।

सदस्यता समाप्त होने पर निधि से भुगतान

13. [1][''(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके नामनिर्देशिती या जहॉ कोई नामनिर्देशिती न हो उसके विधिक उत्तराधिकारियों को निधि से उसकी सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए पॉच हजार रूपये की दर से संगणित धनराशि का, जो पच्चीस हजार रूपये से अन्यून और एक लाख पचास हजार रूपये से अनधिक हो, भुगतान किया जायेगाः

परन्तु यह कि तीस वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने पर किसी सदस्य की मृत्यु होने की दशा में उनके नामनिर्देशिती अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पॉच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(2) किसी सदस्य को, धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के अधीन सदस्य न रह जाने पर निधि से निम्नलिखित प्रकार से भुगतान किया जायेगाः–

(एक) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए दो हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित वर्ष के बारह वर्ष के पश्चात् और पच्चीस वर्ष के पूर्व त्याग–पत्र देता है;

(दो) सदस्यता के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अधिकतम एक लाख पचास हजार रूपये के अध्यधीन पॉच हजार रूपये प्रतिवर्ष की दर से संगणित धनराशि, यदि वह अपनी सदस्यता के सम्पूरित पच्चीस वर्ष के पश्चात् त्याग–पत्र देता हैः

परन्तु यह कि यदि वह अपनी सदस्यता के तीस वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् त्याग–पत्र देता है तो ऐसे सदस्य को राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से एक मुश्त पॉच लाख रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(तीन) उसके द्वारा संदत्त अभिदान के कुल योग के बराबर धनराशि, और उस पर ऐसी दर से साधारण ब्याज, जैसा कि न्यासी समिति समय–समय पर नियत करे, यदि वह ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) से आच्छादित न हों, सदस्य न रह जाय।'']

स्पष्टीकरण:–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये शब्द ''सदस्य'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसकी सदस्यता न रह जाने के पश्चात् किन्तु उपधारा (1) के अधीन भुगतान प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाय।

सदस्यों के हित के संक्रामण कुर्की इत्यादि पर निर्बन्धन

14–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, योजना के किसी सदस्य या उसके नामांकिती या विधिक वारिसों का धारा 13 के अधीन निधि से कोई धनराशि प्राप्त करने के अधिकार या हित का न तो संक्रामण किया जाएगा, न भारित किया जायगा और न किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन उसकी कुर्की की जा सकेगी।

योजना के सदस्य के लिए विशेष उपबन्ध

[**14**–d–जहां कोई अधिवक्ता जो इस अधिनियम के, जैसा कि प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था, योजना का सदस्य है, ऐसे प्रारम्भ के दो वर्ष के भीतर, योजना का सदस्य न बने रहने का विकल्प देना है, वहां उस धनराशि जिसके लिए वह धारा 13 के, जैसा कि वह ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थी, हकदार हो भुगतान की जायेगी और ऐसा अधिवक्ता पुनः योजना की सदस्यता में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो अधिवक्ता योजना का सदस्य बना रहेगा।][2]

---

1. उ.प्र. अधिनियम संख्या–34/2021, की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 3, 1999 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण

15–इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव से की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के सम्बन्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न्यासी समिति या उसके सदस्य या अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

16–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है–

''(क) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना की सदस्यता के लिये आवेदन–पत्र दिया जा सकता है;

(ख) योजना की सदस्यता के लिये प्रवेश फीस और वार्षिक चन्दा देने की रीति;

(ग) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार योजना के सदस्यों की सूची रखी जायगी और उसकी प्रतियां या उद्धरण न्यायालयों को भेजे जायेंगे, जिससे कि वे धारा 9 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके;

(घ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान के लिये आवेदन.पत्र दिये जायेंगे और ऐसे भुगतान के लिये न्यासी समिति द्वारा की जाने वाली जांच, यदि कोई हो, की प्रक्रिया;

(ङ) प्रपत्र जिसमें और रीति जिसके अनुसार धारा 13 के अधीन भुगतान प्राप्त करने के लिये नामांकन किया जाय;

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय।**]**[1]

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 21, 1988 की धारा 4 द्वारा धारायें 8,9,10,11,12,13,14,15 एवं 16 बढ़ायी गयीं।